मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल
फोन 0755–2551486–87 फैक्स 2550094

क्र. 2465/MGNREGS-MP/NR-1/13 भोपाल, दिनांक 11/03/2013

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला/जिला पंचायत –..... (समस्त) मध्यप्रदेश।

विषयः– माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार द्वारा मनरेगा अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के संबंध में प्राप्त सुझाव बाबत। (पत्र क्र.–78112/2012 दि.–24.12.12)

कृपया विषयांतर्गत लेख है कि माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन को मनरेगा अंतर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु निम्नानुसार सुझाव प्रेषित किए गए हैं –

- विधवा, परित्यक्त तथा निःसहायः महिलाओं की पहचान की जाए, जो कि अधिनियम में एक परिवार के रूप में पात्र हैं। ऐसी महिलाओं को रोजगार कार्ड जारी कर उन्हें 100 दिन का रोजगार दिया जावे।

- गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ऐसे विशेष कार्य शुरू किए जावें जिनमें कम प्रयास निहित हो तथा उनके घर के समीप स्थित हो।

- अशक्तता, आयु, लिंग, भौगोलिक क्षेत्र तथा जलवायु संवेदी शिडयूल ऑफ रेट्स (एसओआरएस) तैयार करने के लिए समय एवं गति आधारित अध्ययन कराया जावें। महिलाओं द्वारा कार्यस्थल पर वास्तविक श्रम का आकलन भी सुनिश्चित किया जावे।

- ये सुनिश्चित करें कि सभी कार्यस्थलों पर कम से कम 50 प्रतिशत पर्यवेक्षक (मेट) महिलाएं ही हों। ऐसी महिलाकर्मियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्होंने स्वयं अथवा जिनकी बेटियों ने विगत तीन वर्षों के दौरान अधिकतम कार्य किया हो। इसमें से पहली प्राथमिकता विकलांग महिलाओं को दी जाए।

- यह सुनिश्चित करें कि कार्यस्थल पर शिशु शाला (क्रेच), पेयजल, शेड आदि जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएं। ऐसी सुविधायें महिला एवं बाल विकास की योजनाओं जैसे कि समेकित बाल विकास योजना (आई सी डी एस) के अंतर्गत समभिरूप करके उपलब्ध करायी जा सकती है।

- मनरेगा कार्यों की आयोजना, क्रियान्वयन, निगरानी, कार्य के संधारण, इनके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा मांग का आकलन करने में महिला समूहों जिनमें स्व

सहायता समूह भी हों, प्रोत्साहित किया जावे। महिला पर्यवेक्षक (मेट) स्व–सहायता समूहों द्वारा तैयार किया जा सकते हैं।

कृपया उपरोक्त प्रेषित सुझावों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म. प्र. के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ. क्र. 2466 /MGNREGS-MP/NR-1/13 भोपाल, दिनांक 11/03/2013

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, पं.ग्रा.वि.विभाग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विभाग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप सचिव, मान. मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन की ओर उनकी टीप क्र.– 19/सीएमएस/डीएनव्ही /13 दिनांक 08.01.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।
4. संभागायुक्त संभाग – ..... (समस्त), की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपायुक्त (विकास), संभागायुक्त कार्यालय संभाग – ..... (समस्त) की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद